R-353-PBR/16

माननीय सदस्य राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

महेश पिता श्री रामु पाटीदार

आयु – 39 वर्ष, व्यवसाय– कृषि

निवासी– ग्राम पीपरी, तह. व जिला खरगोन, म. प्र. ——प्रार्थी

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ....
प्रार्थी / अभिभाषक द्वारा दिनांक 30-12-15
को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

1755
30-12-15

1 कृष्णराव पिता श्री सदाशिव मोयदे

आयु – 68 वर्ष, व्यवसाय– कृषि

2 अशोक पिता श्री कृष्णराव मोयदे

आयु – 48 वर्ष, व्यवसाय– चिकित्सक

3 कविता पति श्री अशोक मोयदे

आयु – 45 वर्ष, व्यवसाय– गृहकार्य

4 पण्डु पिता शिवराम पाटीदार

आयु – 60 वर्ष, व्यवसाय– कृषि

समस्त निवासी– ग्राम पीपरी,

तह. व जिला खरगोन, म. प्र. ——प्रतिप्रार्थीगण

पुनरिक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता

विचारण न्यायालय	:—	तहसीलदार महोदय खरगोन, जिला खरगोन, म. प्र.
प्रकरण कमांक	:—	राजस्व प्रकरण कमांक 3 / अ–13 / 2013–14
आदेश दिनांक	:—	20 / 07 / 2015
अपीलिय आदेश	:—	अपील प्रकरण कमांक 44 / अ–13 / 2014–15
पारितकर्ता	:—	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन, जिला खरगोन, म. प्र.
आदेश दिनांक	:—	06 / 10 / 2015

20/1/16 noted

... 2

द्वितीय अपील :– प्रकरण कमांक 30/अपील/2015–16

(आलोच्य आदेश)

पारितकर्ता :– अपर आयुक्त इन्दौर संभाग, इन्दौर, म. प्र.

आदेश दिनांक :– 18/11/2015

याचिकाकर्ता की ओर से विनम्र निवेदन है कि–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1 यह कि, अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कमांक 4 द्वारा अपनी भूमि कमशः ख. नं. 988/2 एवं 988/1 एवं ख. नं. 994 जो की प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 की है के मध्य के रास्ते से रोक हटाने हेतु आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 131 म. प्र. भू. रा. संहिता का माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 12/10/11 को स्थल निरीक्षण करने के उपरांत दिनांक 31/01/2012 को आदेश पारित करते हुए उक्त रास्ता खोलने बाबद अंतरिम आदेश पारित किया। प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 द्वारा उक्त आदेश को चुनौती माननीय अपर कलेक्टर महोदय के समक्ष दी गई। परन्तु प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 की पुनरिक्षण याचिका निरस्त की गई।

2 यह कि, माननीय विचारण न्यायालय द्वारा पुनः दिनांक 08/02/2013 को स्थल निरीक्षण किया गया एवं आवेदक एवं अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य अंकित की गई। माननीय विचारण न्यायालय द्वारा उपभयपक्ष के तर्क श्रवण करने के उपरांत दिनांक 20/07/2015 को विस्तृत आदेश पारित कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी कमांक 4 की भूमि कमशः ख. नं. 988/2 एवं 988/1 एवं प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 की भूमि ख. नं. 994 के मध्य के रास्ते को खोले जाने बाबद आदेश पारित किया गया। माननीय तहसीलदार महोदय खरगोन के आदेश से असंतुष्ट होकर प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 3 द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरगोन, जिला खरगोन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। माननीय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 353 –पीबीआर/2016 **जिला खरगौन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–01–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के आदेशिका दिनांक 18–11–2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा प्रथमदृष्टया सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में नहीं पाते हुये स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है, क्योंकि अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक के लिये वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है। **अध्यक्ष**	